

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

(Important Instruction for Admission)

1. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में आवेदन के इच्छुक आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी रुचि के विषय चुनने और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी प्रवेश नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें।
2. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र(टी०सी०) /माइग्रेशन सार्टिफिकेट मूल रूप से लगानी आवश्यक है।
3. प्रवेश हेतु अध्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अंकतालिकाओं तथा खेल एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाई जानी आवश्यक है।
4. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम् स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ(रंगीन) को उचित स्थान पर चिपकाना आवश्यक है।
5. प्रवेश मिलने के पश्चात सामान्यतः विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सीटों की उपलब्धता होने पर ही प्रवेश समिति प्रवेश तिथि की समाप्ति के 10 दिनों के अन्तर्गत विषय परिवर्तन पर किया जा सकता है।
6. प्रत्याशी निर्धारित तिथि से पूर्व तक प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात किसी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को वार्षिक शुल्क, छः माह का शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क आदि जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात निर्धारित अवधि में परीक्षा फार्म भरकर प्राचार्य/निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
8. महाविद्यालय को बिना कारण बतायें किसी भी आवेदक को प्रवेश लेने हेतु मना कर सकता है या उसका प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
9. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अंतिम अधिसूचित तिथि से पूर्व तक एकमुश्त वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी किन्तु कश्मीर से पुनर्स्थापितों के लिए अंतिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।
10. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
11. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहिन को) यदि वे अर्ह हो तो स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय एक सीट तथा स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
12. निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
13. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रवेश नियम सत्र 2018–19

(Admission Rules)

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होंगे

1. विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तरांचल शासनादेश संख्या-1144/क्रामिक-2-2001-53(1)/2001 द्वारा निर्धारित निति के अनुसार अनुमन्य होगी जो कि निम्नवत् है।
अनुसूचित जाति- 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति- 04 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग- 14 प्रतिशत, इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से हारिजेन्टल आरक्षण देय होगा: महिला- 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक- 05 प्रतिशत, दिव्यांग- 04 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित- 02 प्रतिशत। आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा।

उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हो। उत्तराखण्ड से बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है, उसी श्रेणी में 04 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु संकाय में स्नातकोत्तर स्तर की सम्पूर्ण सीटों की संख्या के आधार पर विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की गिनती की जायेगी, तदुपरान्त प्राचार्य/संकायाध्यक्ष यह निर्णय लेंगे कि आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जा सकेगा।

3. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, वशर्ते कि उन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
4. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। दसवीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय हों।
5. स्नातक/स्नातकोस्तर कक्षाओं/विषयों में प्रवेश निर्धारित सीटों पर ही होगा।
6. संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोकसभा/विधानसभा के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियन्ता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। बी0ए० प्रथम सेमेस्टर के अभ्यार्थी तथा बी०क०म०० एवं बी०ए०स०सी० के द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यार्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगे, जो कि उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
8. प्रवेश आवेदन—पत्र पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) तथा चरित्र प्रमाण—पत्र (CC) मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवेश प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा करना आवश्यक है, अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
9. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वंय उपस्थित होना होगा, ताकि उसके छाया चित्र एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके।
10. अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा एवम् संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्राप—आउट भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ड्राप—आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो परीक्षा आवेदन—पत्र भरा हो, और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हुआ हो।
11. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों का अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जा सकता है प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रवेश प्रमाण पत्र एवम् चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छ: (6) वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर चार (4) वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा अर्थात् व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र उक्त अवधि के पश्चात भी अध्ययनरत रह सकते हैं। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेंगे जिन्होंने पूरे समय अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता है।
13. जिन छात्रों की गतिविधियां नियन्ता **मण्डल/प्रशासन** की राय में अवांछनीय हैं उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, अथवा निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
14. संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा छात्र एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात् एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा/दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उदाहरणार्थ— यदि किसी छात्र ने एम०ए० अर्थशास्त्र उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला संकाय के किसी अन्य विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, और न ही वह किसी संकाय की समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकता है।
15. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
16. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
17. प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के पश्चात यदि कोई प्रवेश दिया जाता है तो वह अवैध होगा। 15 दिन के भीतर सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित की जानी होगी।
18. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र में भी आंवटित विषय का उल्लेख किया जायेगा।
19. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/संकायाध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेंगे उनकी सूचना समय—समय पर सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को दी जायेगी, इन्हीं सूचियों के आधार पर विभिन्न विभागों की छात्र उपरिथित पंजिका में छात्र/छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेंगे।
20. संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा, और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
21. यदि किसी छात्र ने बी०क०म०/बी०ए० प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है और द्वितीय/तृतीय वर्ष में संस्थागत रूप से प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए बी०क०म०/बी०ए० प्रथम/द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इसी प्रकार एम०क०म०/एम०ए० के लिए भी व्यक्तिगत प्रथम वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
22. छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी, तदुपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी।
23. शैक्षिक कलैण्डर सभी महाविद्यालयों/संस्थानों पर एक समान रूप से लागू होगा।
24. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
25. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में तीस दिनों के छूट के साथ—साथ न्यूनतम निर्धारित अंकों के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।

26. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जाएगा और कानून के दायरे में आ जाएगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी यूजी०सी० की वेबसाइट पर एंटी रैगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होगी।
27. अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है तो विश्वविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है, परन्तु इस समय अन्तराल का शपथ-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र जमा करना होगा जिससे सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो।
28. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कॉर्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। बशर्ते कि इन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
29. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से (10+2) इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। बशर्ते कि 10वीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय हों।
30. दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी है तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4 वर्षों में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

योग्यता सूची का निर्धारण एवं प्रवेश से सम्बन्धित नियम

इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत में निम्नानुसार अतिरिक्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची बनाई जायेगी तथा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जायेगा। तत्पश्चात् उपलब्ध स्थानों के प्रति योग्यता क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

1. इण्डेक्स ज्ञात करने हेतु अभ्यर्थियों को नियमानुसार निम्न अतिरिक्त अंक देय होंगे।

a-	राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर	07 अंक
b-	राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करने पर	05 अंक
c-	स्काउट गाइड राष्ट्रपति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी स्काउट में जी-1 धारक को –	02 अंक
	जी-2 धारक को	01 अंक
d-	ध्रुव पद/ध्रुव धारक –	02 अंक
e-	एन.सी.सी.बी./सी. प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी –	03 / 05 अंक
f-	एन.एस.एस.ए. प्रमाण-पत्र – 02 अंक, बी.-प्रमाण पत्र– 03 अंक, सी. प्रमाण पत्र – 05 अंक (प्रतिबन्ध यह होगा	(प्रतिबन्ध यह होगा

कि a,b,c,d,e तथा f के लिए अधिकतम 07 अंक देय होंगे।

2. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, भूतपूर्व/कार्यरत् सैनिकों एवं केन्द्रीय मन्त्रालयों के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री) को तीन अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

टिप्पणी :- समान सूचकांक होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत्य होगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु विशेष नियम

स्नातकोत्तर में प्रवेशार्थी न्यूनतम अर्हता गढ़वाल विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय/अन्य विश्वविद्यालय अथवा इनके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक डिग्री होगी। (गणित विषय लेकर बी.ए. करने वाले आवेदक भी गणित में एम.ए. के लिए विचारणीय होंगे) स्नातकोत्तर कक्षाओं (एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी.) में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम (बी.ए. 40 प्रतिशत तथा बी.कॉम. 45 प्रतिशत एवं बी.एस.सी. 45 प्रतिशत) प्राप्तांक आवश्यक है।

योग्यता सूची का निर्धारण एवं प्रवेश से सम्बन्धित नियम

1. एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतियाँ एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ सूचकांक ज्ञात करने हेतु प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. आरक्षण नियमानुसार लागू होगा।
3. बी.एस.सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम.ए./एम.एस.सी. भूगोल के लिए अर्ह नहीं होगा।
4. सम्पूर्ण स्थान योग्यता से भरे जायेंगे, जो निम्नांकित सूचकांक गणना के अधार पर निर्धारित किया जायेगा :—

एक्स एवं वाई का योग

शैक्षिक योग्यता के लिए अंक = अधिकतम एक्स तथा अधिकतम वाई का योग

(यहाँ एक्स का आशय स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक से है और वाई स्नातकोत्तर कक्षा के लिए चयन किये गये विषय में स्नातक परीक्षा की लिखित परीक्षा में प्राप्तांक हैं। अधिकतम एक्स एवं अधिकतम वाई का आशय कुल पूर्णांक से है)

5. आवेदक ने यदि इस महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो 05 अंक/ श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य महाविद्यालय का स्नातक हो तो 03 अंक।
6. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/भूतपूर्व अथवा कार्यरत सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पौत्र/पौत्री) के लिए 02 अंक।
7. (क) राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रवेशार्थी को 07 अंक।
 (ख) अन्तर विश्वविद्यालय/राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को 05 अंक।
 (ग) विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व को 02 अंक।
8. एन०सी०सी० 'बी' प्रमाण पत्र धारक को दो अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को तीन अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को पांच अंक।
9. राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे + दो विषेश विविरों को दो अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को तीन अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण विविर/गणतंत्र दिवस परेड को पांच अंक (अधिकतम 5 अंक)
10. सेना में कार्यरत सैनिकों एवम् केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों(पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री) को दो अतिरिक्त अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।
11. विष्वविद्यालय में कार्यरत विद्यकों एवं विद्यार्थियों के आश्रितों (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री) एवम् सम्बद्ध महाविद्यालयों के विद्यकों व कर्मचारियों (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री) को उसी महाविद्यालय जिसमें उनके माता-पिता, पति-पत्नी कार्यरत हो को पांच अतिरिक्त अंक देय होंगे।
12. साक्षरता अभियान में कार्यरत छात्र के विद्यालय के प्रमाण पत्र पर 01 अंक देय होगा।

अन्य प्रावधान :—

गैप के लिए 5 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से योग्यता सूचकांक में से अधिकतम दस अंक घटाये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता, खेलकूद, एन०सी०सी० आदि में उपलब्धियों के आधार पर योग्यता सूची बनाई जायेगी और अभ्यर्थियों को प्रवेश सूची में योग्यता कम दिया जाएगा। अधिकतम देय वरीयता अंक 15 ही होंगे।

वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु नियम :—

- (क) बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट में 40 प्रतिशत अंकों का होना आवश्यक ऐसे छात्र/छात्राओं, जिनका इण्टर में वाणिज्य विषय नहीं रहा है, को बी.कॉम. में एक अतिरिक्त "पुस्तपालन एवं लेखाकर्म" (Elementary Book Keeping) आवश्यक रूप से लेना एवं उत्तीर्ण करना होगा।
- (ख) एम.कॉम. पूर्वार्द्ध में उन्हीं अभ्यर्थियों के प्रवेश पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने बी.कॉम. परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा बी.ए./बी.एस.सी. परीक्षा अर्थशास्त्र या गणित से उत्तीर्ण की है। जिन अभ्यर्थियों ने इण्टर अथवा स्नातक परीक्षा वाणिज्य विषयों के साथ उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें अह पाठ्यक्रम के रूप में एम.कॉम. पूर्वार्द्ध में प्रारम्भिक पुस्तपालन एवं लेखाकार्य आवश्यक रूप से लेना होगा एवं उत्तीर्ण करना होगा।
- (ग) स्नातकोत्तर स्तर (एम०कॉम) पर संस्थागत प्रवेश हेतु बी०कॉम० 45 प्रतिशत एवं कला/विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

विज्ञान संकाय (Faculty of Science)

बी०एससी० प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी नियम

बी०एससी० प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थियों को निम्न संवर्गों में से वही संवर्ग देय होगा जिस संवर्ग से उसने इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अर्थात् गणित संवर्ग(गणित, रसायन, भौतिक) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को गणित संवर्ग तथा प्राणी विज्ञान संवर्ग(वनस्पति, रसायन, जन्तु) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राणी विज्ञान संवर्ग के विषय अनुवर्ग ही अनुमत्य होंगे। अभ्यर्थी वरीयता क्रम में अपने संवर्ग में तीन विषय, प्रवेश आवेदन-पत्र पर अंकित करेंगे। प्रवेश समिति द्वारा आवंटित अनुवर्ग विषय अन्तिम और अपरिवर्तनीय होगा।

निम्न अनुवर्ग यहाँ उपलब्ध विषयों के अनुरूप लागू होंगे।

गणित संवर्ग

1. भौतिकी-गणित-रसायन
2. भौतिकी-गणित-सांख्यिकी
3. भौतिकी-गणित-भू-विज्ञान
4. भौतिकी-गणित-रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
5. भौतिकी-रसायन-भूविज्ञान

प्राणि विज्ञान संवर्ग

- वनस्पति—जन्तु—रसायन
- वनस्पति—रसायन—भूविज्ञान
- वनस्पति—जन्तु विज्ञान—रक्षा एवं स्नातेजिक अध्ययन
- वनस्पति—जन्तु विज्ञान—मानव विज्ञान
- वनस्पति—जन्तु विज्ञान—भू विज्ञान
- जन्तु विज्ञान—रसायन—भू विज्ञान

कला संकाय(Faculty of Art)

बी0ए0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी निर्देश

1. बी0ए0 प्रथम वर्ष में छात्र को तीन विषयों में प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. कोई भी छात्र हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में से कोई दो विषय चुन सकता है।
3. कोई भी छात्र मात्र दो प्रायोगिक विषयों का चयन कर सकता है किन्तु :
 - (i) गृह विज्ञान के साथ गणित का चयन नहीं किया जा सकता है।
 - (ii) संस्कृत के साथ मानव विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
 - (iii) मानव विज्ञान के साथ संस्कृत एवं गृह विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
 - (iv) अर्थशास्त्र के साथ मानव विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
 - (v) भूगोल के साथ इतिहास तथा मानव विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
4. केवल वे छात्र भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल के साथ अथवा विज्ञान संवर्ग जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण की हो।
5. केवल वे छात्र गणित का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कला अथवा विज्ञान वर्गान्तर्गत गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
6. रक्षा एवं स्नातेजिक अध्ययन विषय का अध्ययन इण्टरमीडिएट विज्ञान/कला/वाणिज्य अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र कर सकते हैं।
7. गणित के साथ मात्र सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तथा भूगोल विषय ही लिये जा सकते हैं।

विषय संयोजन

1. हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान
2. हिन्दी, संस्कृत, इतिहास
3. इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र
4. भूगोल, सैन्य विज्ञान, अर्थशास्त्र
5. राजनीति विज्ञान, इतिहास, सैन्य विज्ञान
6. गणित, सांख्यिकी, भूगोल
7. हिन्दी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान
8. अर्थशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान
9. हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र
10. गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र
11. अंग्रेजी, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान
12. अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान

वाणिज्य संकाय(Faculty of Commerce)

बी0कॉम0 तथा एम0कॉम0 प्रवेश हेतु नियम

1. बी0कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने,
 - (i) इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उत्तीर्ण की हो।
 - (ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा अन्य विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो किन्तु इन्हें क्वालीफाईंग परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी।
2. एम0कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो निम्न लिखित शर्तें पूरी करते हों,
 - (i) बी0कॉम0 अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उत्तीर्ण की हो।
 - (ii) बी0ए0/बी0एससी0 परीक्षा अर्थशास्त्र अथवा गणित के साथ उत्तीर्ण की हो, किन्तु इन्हें क्वालीफाईंग परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी।